

585 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोली) व एक अदद मोटरसाइकिल के साथ दो शातिर अभियुक्तों को गोलहौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा ।

श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री श्रीयश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 09/09/2020 को श्री शमशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा द्वारा दो शातिर नकबजन को एक अदद हीरो होन्डा स्पलेंडर मोटरसाइकिल काले रंग की रजि0 सं0 UP 47 X 3699 व 585 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोली) के साथ गिरफ्तार कर, अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय व जेल रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 01- अब्दुल मोतलबी पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम-गुधरा थाना तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर ।
- 02- साबिर पुत्र नाजिम अली निवासी ग्राम-गुधरा थाना तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- 01- एक अदद हीरो होन्डा स्पलेंडर मोटरसाइकिल काले रंग की रजि0 सं0 UP 47 X 3699 ।
- 02- 585 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोली) ।

अभियुक्त अब्दुल मोतलबी पुत्र अब्दुल रहीम का आपराधिक इतिहास-

- 01-मु0अ0सं0 22/19 धारा 457, 380 411, थाना गौरा जनपद बलरामपुर ।
- 02-मु0अ0सं0 159 /19 धारा 3 (1) गैंगेस्टर एक्ट थाना डेबरूआ ।
- 03-मु0अ0सं0 49/19 धारा 457, 380, 411, 413 थाना डेबरूआ, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04-मु0अ0सं0 75/9 धारा 457 380 411 413 थाना डेबरूआ, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05-मु0अ0सं0 64 /19 धारा 457 380 411 413 थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06-मु0अ0सं0 36 / 9 धारा 457 380 411 413 थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 07-मु0अ0सं0 496/11 धारा 457 380 411 थाना गौरा, जनपद बलरामपुर ।
- 08-मु0अ0सं0 881/11 धारा 457 380 411 418 थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर ।
- 09-मु0अ0सं0 47/12 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना गौरा, जनपद बलरामपुर ।
- 10-मु0अ0सं0 354/15 धारा 323 504 506 427 थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर ।
- 11-मु0अ0सं0 413/13 धारा 457 380 411 413 थाना उतरौला, जनपद बलरामपुर ।
- 12-मु0अ0सं0 40/16 धारा 457 380 411 थाना गौरा, जनपद बलरामपुर ।
- 13-मु0अ0सं0 466/16 धारा 3 (1) गैंगेस्टर एक्ट थाना गौरा, जनपद बलरामपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01-उप निरीक्षक लीला यादव थाना गोलहौरा, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-उप निरीक्षक राम मिलन यादव थाना गोलहौरा, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03-आरक्षी राजाराम यादव थाना गोलहौरा, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04-आरक्षी सर्वेश यादव थाना गोलहौरा, जनपद सिद्धार्थनगर ।

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-09-09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 195 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 113 वाहनों का चालान व 01 वाहन सीज कर ₹96,500/- शमन शुल्क वसूल किया गया।

